2010:CGHC:12339

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 364 /1990

अपीलार्थी - राजा राम कमोजे (कन्नौजे)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी - मध्यप्रदेश राज्य

निर्णय के उद्घोषणा हेतु दिनांक 12.5.2010 को निर्धारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-

प्रिंतिकर दीवाकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 364 /1990

अपीलार्थी - राजा राम कमोजे (कन्नौजे)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी - मध्यप्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से श्री डी.एन.प्रजापति

उत्तरवादी / राज्य की ओर से श्री पंकज श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(12-05-2010)

यह अपील विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 20-03-1990 को विशेष प्रकरण क्रमांक 2/1986 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(डी) एवं 5(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) एवं 5(2) के अंतर्गत एक वर्ष के सक्षम कारावास एवं ₹500 के जुर्माने से, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत छह माह के सक्षम कारावास से, साथ ही उपर्युक्त सजाओं के लिए निर्धारित व्यतिक्रम की शर्तो के साथ दंडित किया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.06.1984 को अभियुक्त/अपीलार्थी रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत था। परिवादी विजय कुमार वाहिटी (अ.सा.-1) उक्त विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (कनिष्ठ) के रूप में कार्य कर रहे थे। यह अभिकथन किया गया है कि दिनांक 14.11.1983 को परिवादी उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए वाराणसी गया था। हालाँकि, लगभग छह माह पश्चात् वह 14.5.1984 को उक्त रायपुर विश्वविद्यालय वापस आया ताकि चौधरी वेतनमान से संबंधित औपचारिकताओं को पूर्ण कर सके। अभियोजन का आगे का कथन यह है कि परिवादी ने मयाराम सपहा (अ.सा -10), जो उस समय निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत था, से बकाया वेतन बिल तैयार करने का अनुरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹450.10 का बिल (प्रदर्श. पी-6) तथा ₹2171.20 का बिल (प्रदर्श. पी -7) तैयार किया गया। ये बिल मयाराम सपहा (पी.डब्ल्यू -10) द्वारा स्वीकृति हेतु सहायक उप सचिव (रक्षा) श्री एस.के. शुक्ला (अ.सा -8) को प्रेषित किए गए, जिन्होंने आगे उक्त बिल अभियुक्त/अपीलार्थी के पास भुगतान अनुमोदन के लिए अग्रेसित किए। संबंधित अवधि में अभियुक्त/अपीलार्थी वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदस्थ थे तथा इस कार्य हेतु विधिवत् रूप से सक्षम थे। प्रक्रियानुसार, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा एक बार स्वीकृत एवं पारित किए गए बिलों को, उसी अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। उक्त बिलों को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार केवल उसी अधिकारी को था। अभियोजन का कथन यह है कि यद्यपि बिल क्रमांक प्रदर्श पी-6 एवं पी-7 के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि का भुगतान प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया था, तथापि वह राशि उस पूर्ण बिल राशि के अनुरूप नहीं थी, जिसके लिए परिवादी विधिसम्मत रूप से अधिकारी था। चूंकि परिवादी को देय भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उसने फिर से अपीलार्थी से संपर्क किया, लेकिन इस समय आरोपी/अपीलार्थी ने पहले के बिलों को रद्द करने के बाद बिल पारित करने के लिए उससे रू 50 रुपये की मांग की। परिवादी आरोपी/अपीलार्थी द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मांगे गए 50 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था और इसलिए, उसने बिल प्रदर्श पी-6 और पी -7 को रद्द कर दिया और संबंधित क्लर्क को नए बिल तैयार करने का निर्देश दिया। इसके बाद मायाराम सपहा (अ.सा -10) द्वारा 24.5.1984 के नए बिल प्रदर्श. पी-3 और पी-4 तैयार किए गए और फिर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा उन पर कार्रवाई की गई , चूंकि परिवादी, अभियुक्त/अपीलार्थी को ₹50 देने के लिए इच्छुक नहीं था, अतः उसने दिनांक 04.06.1984 को पुलिस अधीक्षक (विशेष पुलिस स्थापना), रायपुर को एक लिखित परिवाद प्रस्तुत की। उक्त परिवाद दिए जाने के समय फिरंता राम (अ.सा -9) भी उपस्थित थे। उक्त लिखित परिवाद प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) ने उप पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया। तत्पश्चात् उप पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) ने बी.डी. धनंजय (अ.सा -12), निरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, रायपुर को आगे की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। उसी दिन अर्थात् 04.06.1984 को पूर्व-जाल (प्री- ट्रेप) पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया तथा एम.वी. पांडे (अ.सा -8) एवं के.के. उपाध्याय, क्षेत्रीय आयोजक, आदिमजाति कल्याण विभाग, को विभाग द्वारा बुलाया गया। लिखित परिवाद प्रदर्श पी-1 उन्हें प्रदर्शित की गई और तत्पश्चात् जाल दल (ट्रैप पार्टी) का गठन किया गया। परीक्षण हेतु परिवादी द्वारा दी गई ₹10 मूल्य के पाँच मुद्रा नोटों पर फिनॉलफ्थेलीन पाउडर लगाया गया तथा उसकी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत, जाल दल लगभग अपराह्न 3 बजे अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय पहुँचा। परिवादी (अ.सा -1) एवं फिरंता राम (अ.सा -9) अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में प्रविष्ट हुए। जब परिवादी ने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत की राशि प्रदान करनी चाही, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे कार्यालय के बाहर देने को कहा। इसके पश्चात् उक्त ₹50 की राशि परिवादी द्वारा दी गई, जिसे अभियुक्त/अपीलार्थी ने स्वीकार कर अपनी कमीज़ की दाहिनी जेब में रख लिया। तदुपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी पुनः कार्यालय के भीतर गया तथा बिल क्रमांक प्रदर्श पी-3 पर मुहर लगाकर एवं हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृत किया। किंतु जब उसने दूसरे बिल एक्स. पी-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4 पर मुहर लगाई ही थी कि उसी समय फिरंता राम (अ.सा -9) द्वारा संकेत दिए जाने पर जाल दल वहाँ पहुँच गया और अभियुक्त/अपीलार्थी की कमीज़ की जेब से रिश्वत की राशि को जब्त किया गया, जिसका उल्लेख जब्ती पंचनामा प्रदर्श. पी-15 में किया गया। तत्पश्चात् फिनॉलफ्थेलीन परीक्षण किया गया, तत्पश्चात् फिनॉलफ्थेलीन परीक्षण किया गया, जो परीक्षण में सत्यापित रूप से पुष्ट पाया गया, जैसा कि रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-19 में उल्लिखित है। देहाती नालिशी प्रदर्श. पी-20 दर्ज करने के उपरांत प्रकरण को अपराध पंजीयन हेतु भोपाल स्थित मुख्यालय को प्रेषित किया गया। आवश्यक स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी-22 प्राप्त होने तथा समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात् आरोपपत्र दिनांक 13.06.1986 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने हेतु अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष के समर्थन में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलेखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष होने का अभिवाक किया तथा प्रकरण में झूंठा फंसाये जाने का अभिकथन किया।

4. पक्षों को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी पाया है और सजा सुनाई है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

5. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. अपीलर्थी के अधिवक्ता ने निवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने कभी भी किसी भी रिश्वत की मांग नहीं की थी जैसा कि परिवादी ने इस मामले में आरोप लगाया है वे यह निवेदन करते हैं कि

परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दो बिल, अर्थात् प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.05.1984 को ही स्वीकृत कर दिए गए थे, जो कि जाल (ट्रैप) की घटना दिनांक 04.06.1984 से काफी पूर्व की तिथि है। उनका तर्क है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है, जिसमें परिवादी को पूर्ण राशि प्राप्त न होने के कारण उसने अभियुक्त/अपीलार्थी पर अनुचित आरोप लगाए तथा तत्पश्चात् एक मनगढ़ंत कहानी गढ़कर (ट्रैप) जाल की कार्यवाही करवाई गई। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रकरण का अन्वेषण निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की गई है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार यह अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक से निम्न पदस्थ अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी। हालाँकि, यह इंगित करने में असफल रहे हैं कि यदि अन्वेषण निरीक्षक द्वारा की गई है तो उससे अपीलकर्ता को वास्तविक रूप से क्या प्रतिकूल प्रभाव या पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने उच्चम न्यायालय के निर्णय **हरियाणा राज्य एवं अन्य विरुद्ध चौधरी भजनलाल** एवं अन्य में प्रकाशित **(1992 क्रिमिनल लॉ जर्नल 527)** का अवलंब लिया है। अभियुक्त की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा किसी प्रकार की रिश्वत की माँग कभी की गई थी। साथ ही, प्रदर्श पी-6 तथा पी-7 से यह स्पष्ट है कि संबंधित बिल पूर्व में ही तैयार कर स्वीकृत किए जा चुके थे, अतः अपीलार्थी के लिए किसी प्रकार की माँग करने का कोई अवसर शेष नहीं था। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में उच्चतम न्यायालय द्वारा **गणपति सान्या नाईक बनाम कर्नाटक राज्य** के प्रकरण में दिए गए निर्णय प्रकाशित **(ए.आई.आर 2007 सु.को 3213)** का अवलंब लिया साथ ही, उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के **के. सुन्दर राज बनाम मध्यप्रदेश राज्य** प्रकाशित **(2006 (4) एम.पी.एच.टी 349)** के निर्णय का भी अवलंब लिया है । वे यह प्रस्तुत करते हैं कि परिवादी द्वारा रिश्वत की राशि जबरन दी गई थी, तथा अपीलार्थी द्वारा उसे स्वीकार करने से इनकार करने के बावजूद भी वह राशि दी गई, जो कि साक्षी सुरेश कुमार चंद्राकर (अ.सा.-2) के बयान से स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है। वे यह निवेदन करते हैं कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आरोपों को सिद्ध नहीं करते हैं तथा गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं त्रुटियाँ विद्यमान हैं। उन्होंने विशेष रूप से ईश्वरलाल (अ.सा -3), द्वारिका प्रसाद (अ.सा -4), पी.जी. श्रोत्री (अ.सा.-5), फिरंता राम (अ.सा.-9) तथा माया राम सपहा (अ.सा.-10) के साक्ष्यों का उल्लेख किया। अंततः, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र ₹50 की अल्प राशि के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी पहले ही अत्यधिक कष्ट भुगत चुका है तथा वह सन् 1984 से सेवा से पृथक है, अर्थात् लगभग 26 वर्षों से बेरोजगार है। अतः यह दंड पर्याप्त समझा जाए और उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी /राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि भले ही अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक द्वारा न किया गया हो, तथापि इससे विचारण स्वयं दूषित नहीं हो जाता, जब तक अभियुक्त/अपीलार्थी यह प्रदर्शित न करे कि उसे इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव अथवा पूर्वाग्रह हुआ है। अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी यह नहीं दिखा पाया कि निरीक्षक द्वारा की गई अन्वेषण के कारण न्याय का हनन हुआ है, तो वह इससे कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह मात्र एक अनियमितता है। उन्होंने यह निवेदन किया कि अन्वेषण पूर्णतः निष्पक्ष रूप से किया गया था तथा अभियुक्त/अपीलार्थी को पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरांत चालान प्रस्तुत किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार न्याय में विफलता हुई है या उसे किसी विधिसंगत अधिकार से वंचित किया गया है। उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने, तथापि, यह स्वीकार किया कि बिल (प्रदर्श पी-6) एवं (प्रदर्श पी -7) सभी सक्षम प्राधिकारियों, जिनमें वर्तमान अपीलार्थी भी सम्मिलित हैं, द्वारा अनुमोदित किए गए थे। परंतु

उत्तरवादी/राज्य का यह कथन है कि बिल प्रदर्श पी- 7 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्ण राशि हेतु स्वीकृति नहीं दी गई थी, और वास्तविक दावा राशि ₹2170.20 के स्थान पर केवल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

₹1178.90 की राशि स्वीकृत की गई थी। इस पर परिवादी ने पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी से सम्पर्क किया, और शेष राशि की स्वीकृति के लिए अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उससे ₹50 की मांग की गई। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि जब परिवादी ने ₹50 की रिश्वत राशि देने पर सहमति व्यक्त की, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने द्वारा पूर्व में तैयार किए गए बिल क्रमांक (प्रदर्श पी-6) एवं (प्रदर्श पी-7) को निरस्त कर दिया तथा विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः बिल क्रमांक (प्रदर्श पी-3) एवं (प्रदर्श पी-4) तैयार किए। तथापि, परिवादी रिश्वत की राशि देने के लिए इच्छुक नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 4.6.1984 को सफलतापूर्वक जाल (ट्रेप) बिछाया गया। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि रिश्वत की मांग का तथ्य परिवादी (अ.सा -1) एवं फिरंता राम (अ.सा -9) के कथनों से विधिवत सिद्ध होता है, जो परिवादी के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत करते समय उपस्थित थे। जहाँ तक राशि की स्वीकृति का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने इसे साक्ष्य के माध्यम से पुष्ट किया है, जो कि विजय कुमार वाहिति (अ.सा 1), सुरेश कुमार चंद्राकर (अ.सा 2), एम. वी. पांडे (अ.सा -6), माणिकराव (अ.सा -7), फिरंता राम (अ.सा- 9) तथा बी. डी. धनंजय (अ.सा -12) के बयानों से स्पष्ट होता है।उक्त तथ्य की पुष्टि (प्रदर्श पी-15) से भी होती है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी से जब्त की गई मुद्रा नोटों के क्रमांक वही पाए गए जो पूर्व-जाल (प्री ट्रेप)पंचनामा (प्रदर्श पी-2) की तैयारी के समय परिवादी को प्रदान किए गए थे। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफ.एस.एल) की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) भी सकारात्मक पाई गई। उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह निवेदन किया हैं कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा राशि स्वीकार कर ली गई है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अनुसार यह अनुमान अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध जाता है, जब तक कि वह स्वयं इस अनुमान का खंडन न कर दे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. मामले के निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं कि सुसंगत अवधि में परिवादी विजय कुमार वाहिति (अ.सा -1) रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में सहायक प्राध्यापक (कनिष्ठ) के पद पर कार्यरत थे,

जबकि अभियुक्त/अपीलकर्ता उसी विश्वविद्यालय में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। परिवादी के अनुसार, वे उच्च अध्ययन हेतु बनारस गए थे, जहाँ वे नवम्बर 1983 से अक्टूबर 1984 तक रहे। दिसंबर 1983 में जब वे अपने निजी कार्य से संबंधित कारणों से रायपुर आए, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि चौधरी वेतन आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित प्रपत्र भरना आवश्यक है। चूँकि उन्हें कुछ बकाया राशि का भुगतान किया जाना था, अतः उन्होंने विश्वविद्यालय के लेखा निधि प्रकोष्ठ से संपर्क किया और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना वेतन स्थिर करवा लिया। उन्होंने बकाया वेतन बिल की तैयारी हेतु आवश्यक अभिलेख माया राम सपहा (अ.सा -10) को सौंप दिए। लेखा निधि प्रकोष्ठ में परिवादी की भेंट अभियुक्त/अपीलार्थी से हुई, जो उस समय वहाँ वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत थे। अभियुक्त/ अपीलार्थी ने परिवादी को बताया कि बकाया वेतन से संबंधित बिल अधिक राशि के लिए तैयार किया गया है, और यदि वह उसे ₹50 की रिश्वत देगा तो वह उस बिल को उसी प्रकार स्वीकृत कर देगा, अन्यथा वह अतिरिक्त राशि घटाकर केवल देय राशि के अनुसार बिल पारित करेगा। इस पर परिवादी ने अभियुक्त/अपीलार्थी से कहा कि वह एक पैसे की भी अतिरिक्त राशि स्वीकार नहीं करेगा, अतः बिल उसके वास्तविक हकदारी के अनुसार ही तैयार किए जाएँ तथा यदि कोई अतिरिक्त राशि हो तो उसे घटा दिया जाए। जब बिल पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी के पास गए और परिवादी ने उनके संबंध में पूछताछ की, तो अभियुक्त/ अपीलार्थी ने उसे बताया कि जब तक वह ₹50 नहीं देगा, बिल स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात् उक्त गवाह लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गया, जहाँ विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी ऐसा कोई विशेष तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका जो उसके पक्ष में सहायक हो। इस गवाह का कथन पूर्णत: विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। टंकक के रूप में कार्य कर रहे गवाह ने भी अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है। माया राम सपहा (अ.सा -10), जो तत्समय विश्वविद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत थे, ने भी अभियोजन के कथन का समर्थन किया तथा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विभाग में अपनाई जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया। इस गवाह द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया है जो किसी प्रकार से अभियुक्त/अपीलार्थी के पक्ष में सहायक सिद्ध हो सके। अंशराम साहू (अ.सा -11), जो उस समय विश्वविद्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत थे, ने भी अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है। बी. डी. धनंजय (अ.सा -12), जो उक्त प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, ने भी अभियोजन के प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया है।

9. मुझे अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता कि चूँकि बिल प्रदर्श पी-6 और प्रदर्श पी-7 दिनांक 21.05.1984 को ही स्वीकृत हो चुके थे, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी के लिए धन की माँग करने का कोई अवसर शेष नहीं था। अभियोजन का स्वयं का प्रकरण यह है कि परिवादी को पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया था, और इसी कारण उसने पुनः अभियुक्त/अपीलार्थी से प्रदर्श पी- 7 में उल्लिखित पूर्ण राशि के अनुमोदन हेतु संपर्क किया, जिसके लिए अभियुक्त/अपीलार्थी ने धन की माँग की थी। अभियुक्त/अपीलार्थी ने प्रदर्श पी-6 और प्रदर्श पी-7 को निरस्त कर पुनः नवीन रूप से प्रदर्श पी- 3 और प्रदर्श पी-4 के रूप में तैयार किया। इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त/ अपीलार्थी इन बिलों की औपचारिकताएँ पूरी कर रहा था, उसी समय उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। इस गवाह ने अभियोजन के प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया है तथा ऐसा कोई विशेष तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियुक्त/अपीलार्थी को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त/ अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क में भी बल नहीं है कि चूँकि अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक के स्थान पर निरीक्षक द्वारा किया गया, इसलिए अभियुक्त/ अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक के पद से निम्न अधिकारी द्वारा किया गया हो, तो सम्पूर्ण विचारण प्रक्रिया केवल उसी आधार पर दूषित नहीं मानी जाएगी, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि अभियुक्त/अपीलार्थी को उससे किसी प्रकार की पूर्वाग्रह या न्याय का हनन हुआ है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि यदि अन्वेषण निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया, तो उससे उसे किस प्रकार की पूर्वाग्रह या न्याय का उल्लंघन हुआ। **<u>राज्य पुलिस निरीक्षक, विशाखापट्टनम बनाम सूर्य शंकरम करी</u>**, प्रकाशित **(2006) 7 एससीसी 172** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "यह सत्य है कि केवल अवैधानिक अन्वेषण के आधार पर कोई कार्यवाही अभिखंडित नहीं की जा सकती, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि न्याय की विफलता हुई है ; किन्तु इस प्रकरण में, जैसा कि हमने पूर्व में हवाला दिया है कि , उत्तरवादी को न्यायिक विफलता सहना पड़ा क्योंकि अ.सा *-41* द्वारा किया गया अन्वेषण निष्पक्ष नहीं था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मुझे अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई सार प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा माँगी और स्वीकार की गई ₹50 की रिश्वत की राशि नगण्य थी या यह कि घटना को घटित हुए 26 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, अतः उसे उस पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरणों में न तो रिश्वत की राशि का परिमाण और न ही घटना के पश्चात् बीता हुआ समय कोई महत्व रखता है। एक बार जब अभियुक्त/अपीलार्थी की रिश्वत माँगने और स्वीकार करने में संलिप्तता सिद्ध हो जाती है, तब दोषसिद्धि ही न्यायसंगत एवं आवश्यक परिणाम होता है।

12. अतः प्रकरण उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषणात्मक तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से असंगत होने से , अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अपील पूर्णतः निराधार पाई जाती है और इसलिए यह खारिज किये जाने योग्य है । इस प्रकार यह खारिज किया जाता है ।

हस्ताक्षर/-

प्रिंतिकर दीवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता